

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक: एफ.1(2) एफ.डी. (रूल्स)/06/पार्ट-1 दिनांक: 11 जून 2014 की पालना में निम्नांकित व्याख्याता भौतिक/गणित (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का निम्नानुसार चिकित्सा प्रमाण/स्वयं के आवेदन पत्र के आधार पर अवैतनिक अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	अवकाश का प्रकार	लिये गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या
1	प्रसन्नता राजपुरोहित, बा. राजमहल (जोधपुर)	भौतिक विज्ञान	अवैतनिक (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	08.08.2017 से 10.08.2017 तक	03 दिन
2	ललिता उमेश शर्मा, भूदोली (सीकर)	भौतिक विज्ञान	अवैतनिक (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	28.01.2019 से 25.02.2019 तक	29 दिन
				27.02.2019 से 25.03.2019 तक	27 दिन
				कुल दिवस	56 दिन
3	सोनम चौधरी, बा. मेड़ता सिटी (नागौर)	भौतिक विज्ञान	अवैतनिक (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	27.02.2019 से 02.03.2019 तक	04 दिन
				06.03.2019 से 09.03.2019 तक	04 दिन
				कुल दिवस	08 दिन
4	अभिमन्यु सिंह, स्वामी विवे. रा.मॉडल स्कूल, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)	भौतिक विज्ञान	अवैतनिक	18.09.2017 से 19.09.2017 तक	02 दिन
5	देवेन्द्र सिंह शेखावत, हदों (कोलायत) बीकानेर	भौतिक विज्ञान	अवैतनिक	25.10.2017 से 26.10.2017 तक	02 दिन
				20.09.2018 एवं 22.09.2018	02 दिन
				17.12.2018	01 दिन
				कुल दिवस	05 दिन
6	राकेश सैनी, गादोला (चित्तौड़गढ़)	भौतिक विज्ञान	अवैतनिक (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	27.06.2018 से 30.06.2018	04 दिन
7	प्रदीप कुमार जाटव, कैथवाड़ा (भरतपुर)	भौतिक विज्ञान	अवैतनिक (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	07.12.2017	01 दिन

यदि उपरोक्त कार्मिकों का इस अवधि का वेतन आहरण किया गया हो तो संबंधित संस्था प्रधान समायोजन करें एवं उक्त अवकाश अवधि के लेखे का कार्मिक की 'सेवा-पुस्तिका' में इन्द्राज करें। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'परिपत्र' दिनांक 11.06.2014 के प्रावधानानुसार कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार वृद्धि होगी।


(नथमल डिडेल)

आर्.ए.एम्.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगक/प्रो.ट्रे./अवैतनिक/अवकाश/2019-20

दिनांक: 17/09/2019

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा)।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक।
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
6. सिस्टम एनेलैसिसट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)